राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/220/2020-KSP

इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ दिनांक 14.07.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक
3. श्री रविन्द्र कुमार प्रधान, जीएम (एचआर), इंडियन ओवरसीज बैंक
4. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
5. श्री सुसील चन्द्र मोहन्ता, जीएम, इंडियन ओवरसीज बैंक
6. श्री यू. सदानन्द मूर्ति, डीजीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, इंडियन ओवरसीज बैंक
7. श्रीमति एन. वालरमेती, सीनियर मैनेजर, एससी/एसटी/ओबीसी सेल इंचार्ज, इंडियन ओवरसीज बैंक

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कार्यवाही प्रारंभ किया जाये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी नमस्कार सर, हम लोग यहां चैन्नई से आईओबी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते है। हमारे एमडी 30 जून को रिटायर हो गये, उनकी जगह पर मैं यहां पर हूँ ऐग्जीक्यूटीव डायक्टेर। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं अपने टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को मार्गदर्शन करें और जो काम कर रहे है हम लोग और अच्छा काम कर सकें।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ईडी साहब एक प्रश्नावली भेजी गयी थी। उस प्रश्नावली में एक प्रश्न सं. 16 है उसमें आप लोगों ने 6 लोगों को फैकल्टी के पद पर कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर अप्वाइंट किया था। इसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया क्या कारण है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ट्रेनिंग परपज के लिये सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपके बैंक ने ही तो अप्वाइंट किया था।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर लिए थे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कितने दिन के लिए लिये थे?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- एक साल के लिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर उसमें कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर टेम्प्रेरी लिया था इनको और ये थ्रू एडवरटाइजमेंट था सर। हम लोगों ने पेपर में एडवरटाइज किया था। उसके रिस्पोंस में जो हमारे पास अपलीकेशन आई थी उन्ही को लेना पड़ा था और ये कोई फिक्स पोस्ट नही है सर। हम लोगों का ट्रेनिंग कॉलेज पिछले कई सालों से बंद था तो हम लोगों ने टेम्प्रेरी कुछ लोगों को वहां से लेकर एंगेज किया था सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- डीओपीटी के आर्डर को फॉलो करते है आप लोग?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- डीओपीटी ने एक आर्डर निकाला था कि 45 दिन के ऊपर जो भी अप्वाइंटमेंट होगा उसमें ओबीसी या एससी/एसटी रिजर्वेशन के रूल को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो परमानेंट पोस्टिंग हो, चाहे वो कॉंट्रेक्चुअल हो। तो आप लोगो ने इस आर्डर की अनदेखी क्यों?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- नहीं इसमें सर फॉलो नहीं करने की हमारी कोई ऐसी मंशा या इंटेनशन नही है, फॉलो तो हम लोग हमेशा करते है। इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था कि 6 ही पोस्ट है। ट्रेनिंग कॉलेज हमारे देश भर में है क्योंकि उसमें एक चैन्नई सेंटर कॉलेज चलाने के लिए सिर्फ 6 लोग लिए, वेकेन्सी काफी ज्यादा हैं, रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है तो हम मान सकते है कि वो हमने खाली छोड़ी है। हम लोग कमीशन की, डीओपीटी की, डीएफएस की गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नहीं मैं देख रहा हूँ ईडी साहब कि कितना पालन करते है आप लोग। प्रश्न संख्या 10सी में लाईसन ऑफिसर के कंमेंट और ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया था वह भी रिपोर्ट आप लोगो ने नहीं दी, रिपोर्ट ना देने के पीछे क्या कारण थें?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- चीफ लाईसन ऑफिसर इंस्पेक्शन तो करते है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नहीं तो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट और कंमेंट मांगे गए थे उन्हें क्यों नहीं भेजा।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जो मैडम हैंडल करती है सर ये विभाग, उनका ये कहना है कि जो इसमें इंस्पेक्शन हुआ था उसमें ऐक्शन टेकन के लिए कोई सजेशन नही था। तो 2018 तक तो क्लोज हो चुके है और 2019 वाला अंडर प्रोसेस है उसमें कोई एक्शन लेना होगा तो जरूर लेंगे सर। मैडम जो बता रही हैं वह यह है वह लोग इंस्पेक्शन करते है लेकिन ऐक्शन हम लोगों के लिए सजेस्ट नही करते है वो रिपोर्ट चेक करते है और सेटिसफाई होते है। अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर कुछ लेना होगा तो हम जरूर भेजेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- वो क्या रिपोर्ट भेजे है। संपूर्ण रिपोर्ट आयोग को भेजिये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ठीक है सर, आज ही हम उसको मेल करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 2015 से पहले ओबीसी का आपके बैंक में कितना सार्टफॉल था?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- 2015 से पहले ऑफिसर में 206 लोगों को था ये प्रश्न संख्या 11 में हमने रिप्लाई भी दिया है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कितना था सार्टफॉल?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ऑफिसर के लिए 29 और क्लर्क के लिए 206 है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 206 या 2016?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- प्रश्न संख्या 11 के जवाब में हम लोगों ने लिखा है, 206 है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- इसमें तो क्लर्क के लिए 2016 लिखा है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- 206 है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अच्छा, हमको 2016 भेज दिए, कोई बात नहीं।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- गलती से चला गया होगा सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ठीक है तो इनको भरने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर हम पिछले 5 सालों से लॉस में थे तो आरबीआई ने पीसीए (प्रोम्ट करेक्टिव एक्शन) लगा रखा है बैंक के ऊपर। तो उसके अंतर्गत हम न किसी की भर्ती नहीं कर सकते है और न ही कोई ब्रांच खोल सकते है। तो 5 साल से हमने कोई भर्ती नही की है, कोई ब्रांच नही खोली है तो जैसी ही रिक्रूटमेंट होगा तो यह सारा बैकलॉग हम क्लियर करेंगे लेकिन उसके लिये आरबीआई की परमिशन चाहिए होगी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 4 वर्षों में आप लोगों को ओबीसी का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर शिकायत छोटी-मोटी आती रहती है लेकिन कोई ऐसा कंप्लेन नहीं होता है जिसकी हम लोग यहां पर चर्चा करे। कुछ आता भी है तो हम लोग हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में उसका निवारण कर देते है उनके सेटिसफेक्शन के हिसाब से। कोशिश करते है कि कोई ऐसा मामला नहीं आये जिसका हल ना हो सके। हम लोग रेगूलरली बात भी करते रहते है ओबीसी जो यूनियन मेंबर है यहां पर उनसे हमारी 6 महीने में मीटिंग भी होती है ऑफिसयली।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये जो आपके लाईसन आफिसर है उनका बैंक में डेट ऑफ जाइनिंग 1978 लिखा है।

चीफ लाईसन ऑफिसर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- नमस्ते सर मेरा नाम मूर्ति है। 1987 में मैंने ज्वाइन किया है। पहले जीएम के रिटायर होने के बाद मेरा नाम आ गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी के जो चीफ लाईसन ऑफिसर कौन था जो आपने लिखा है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ये मूर्ति साहब ने अभी ज्वाइन किया है आपके पास शायद अपडेटेड इन्फारमेशन नहीं होगी। मूर्ति साहब अभी फरवरी में हुए है चीफ लाईसन ऑफिसर। इसके पहले एक साँई प्रसाद साहब थे, वो रिटायर हो गये है जनवरी में। उनके बाद इनको बनाया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- तो ये मूर्ति साहब किस कैटेगरी के है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- बीसी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- तो इनका सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर्टिफिकेट आज ही भिजवा देते है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सर्टिफिकेट भिजवाइये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 18जी में आपने लिखा है "We are adhering to the Ministry of Finance guidelines. Since there is no reservation for OBC employees in promotion, OBC representative is not required in the interview panel during the promotion process" This paragraph, I want on affidavit, you have to send this paragraph on affidavit, ये पैराग्राफ कल तक मुझे शपथपत्र पर चाहिये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर जानकारी के लिए जानना चाहेंगे डिपार्टमेंट ने लिखा है इसमें कुछ फैक्चली गलत है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप भेजिये शपथपत्र पर फिर बात करेंगे।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी ठीक है, सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी एसोसिएशन को आप लोग ऑफिस स्पेस क्यों नहीं दे रहे है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर, इनसे हम लोगों की बात हुई है इन लोगों को हमने बोला हुआ है जैसे ही पीसीए से बाहर आयेंगे, हम लोगों को बाहर जगह हायर करनी पड़ेगी। खर्चे पर रेस्ट्रीक्शन लगा रखा है पीसीए होने की वजह से।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एक कमरा ही तो चाहिये ओबीसी एसोसिएशन को देने के लिये, आपके पास एक कमरा नहीं है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- नहीं कैम्पस में नहीं है साहब, कैम्पस के बाहर हम लोग रेन्ट पर लेकर दे पायेंगे लेकिन उसके लिये हम लोग को वहीं है एक आरबीआई की परमीशन चाहिये होगी तो हम लोग वो प्रमीशन लेकर या पीसीए से हम लोग बाहर आने वाले है प्रोफिट हम लोगों ने मार्च में दिखाया है। अगले 3 से 6 महीने में बाहर आ जायेंगे ऐसी उम्मीद है। तो हम लोगों ने इनको बोला हुआ है वादा किया हुआ है तो देंगे इनको।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप सबको दे रहे है आप ओबीसी के साथ अन्याय कर रहे है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- नहीं सर और किसी को नहीं दिया हुआ है जो एक मेन यूनियन है बहुत पुराने सालों से है बस उनको ही दिया है बाकि ओबीसी को नहीं दे पाये है एससी, एसटी को भी नहीं दे पाये है सबके साथ वही है सर पीसीए से बाहर आयेंगे तो प्रोवाइड करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- रीजनल ऑफिसों में ओबीसी के लाईसन ऑफिसर का अप्वाइंटमेंट किये है कि नहीं?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- हमारे रीजनल ऑफिस में मैडम बता रही है कि नहीं किया गया है साहब।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- क्यों नहीं किया है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक:- सर, हम लोग आइडेन्टीफाई करके उनको नॉमिनेट कर देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- नही करने के पीछे क्या कारण है? What is the Motive?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक:- सर, अगले 15 दिनों में हम करवा देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- एक बात बताइये श्रीवास्तव साहब कि ये ओबीसी की सीट को डी-रिजर्व करने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक:- नहीं हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नही क्या है सर, अधिकार तो नहीं है हम लोगों के पास। हम लोगों ने ऐसा अपनी जानकारी में तो किया ही नही है क्योकि पिछले 4-5 साल से तो रिक्रूटमेंट हुई नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- 21ए देखिये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक:- सर, 21ए में हमने सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, किया नहीं है ऐसा हम लोगों ने नहीं लिखा है। हम लोग लिख रहे है कि 01.04.89 के बाद से बैन हो गया है और अगर करना होगा तो ये प्रोसेस है लेकिन हम लोगों ने तो किया ही नहीं हैं क्योकि हमारे यहां तो कुछ भर्ती हुई नहीं है पांच सालों से।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- इस पर कोई भी कार्यवाही करने से पहले प्रक्रिया पता कर लीजियेगा।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी सर, हम लोग नहीं करेंगे साहब, जो मना है वो नही होगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये मुद्रा लोन में ओबीसी का शेयर इतना कम क्यों है 5.91%, 5.94%, 10.29%?

डीजीएम, इंडियन ओवरसीज बैंकः- Last year Mudra performance is good sir, last year We have done well, it is increased, this year also Mudra performance BC contribution is there.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- How Much?

डीजीएम, इंडियन ओवरसीज बैंकः- Out of 84846 we have done 4832 that is coming to 6-7%. Application-wise 7% Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 7% लोगों को आप लोगों ने मुद्रा लोन दिया है।

डीजीएम, इंडियन ओवरसीज बैंकः- Yes Sir, so far till this financial is still running, it will improve.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 2019 में आपने तो 5.91 दिया है और 2019-20 में कितना दिया है?

डीजीएम, इंडियन ओवरसीज बैंकः- 2019-20 में 1 lakh 86 thousand, we have done 10650 that is 1%.

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- 2019 में हम लोगों ने टोटल जो अमांउट डिसवर्स किया है 2 हजार 200 करोड़ उसमें से ओबीसी को हमने लगभग 87 करोड़ दिया है लगभग ये अमांउट 4% आता है 2019 का।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एक बात आप समझिये ये मुद्रा लोन किसके लिये है जो गरीब है पटरी व्यवसायी है, रेहड़ी वर्ग का व्यापारी है, जो छोटे-

2 काम करता है। इसमें भी नहीं दे रहे आप तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब है की मुद्रा लोन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है, ओबीसी का उद्देश्य तो पूरा हो ही नही रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जी का मुद्रा लोन का जो उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुद्रा लोन जहां जाना चाहिये वहां नहीं जा रहा है। इसमें तो ओबीसी का शेयर बहुत ज्यादा होना चाहिये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी अगर अनुमति दे सर तो बताऊंगा आपको साहब 2018 में जो हम लोगों को भारत सरकार से जो टारगेट मिला था मुद्रा का, 2018 में हम लोगों ने लगभग 99% उसका अचीव किया था, 2019 में लगभग 94-93% हम लोगों ने अचीव किया है मुद्रा का टारगेट। जो ऑवरऑल टारगेट है वो डिसवर्समेंट हो रहा है हम लोगों ने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश की है लेकिन पहुँचे नही उसके पास में। आउट ऑफ देट ओबीसी का नम्बर जरूर कम है ये मैं जरूर मानता हूँ ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कम नही है ओबीसी को तो आप लोगों ने दिया ही नहीं 4%, 5% ऐसे करके दिया है इसका मतलब ओबीसी को लोन दे ही नहीं रहे है। जिसको जरूरत है जिसके लिये प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लांच करवाया है लोन उन लोगों तक पहुँच ही नही पा रहा है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- साहब जो लोग और ऐप्लीकेशन हमारे पास आते है हम लोग उनको जरूर देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये श्रीवास्तव साहब बहुत खतरनाक इंडिकेटर है, आप इसको समझने की कोशिश करिये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- हाँ जी, मैं आपकी बात को नोट करता हूँ साहब।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- रेहड़ी व्यापारी, पटरी व्यापारी, ठेला, खोमचा इन्ही लोगों के लिये ये हुआ है, जो छोटे- छोटे काम कर सके। इसमें तो ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- सर टोटल मुद्रा जब से लांच हुआ है हमारा 4 हजार 100 करोड़ का अभी आउटस्टैंडिंग है साहब, 4 हजार 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोगों ने लगभग 8 हजार करोड़ का सैंक्शन किया होगा पिछले 4 सालों में। तो सेंक्शन हो रहा है, डिसवर्समेंट भी हो रहा है लेकिन हम लोगों के पास क्या है कि जो ऐप्लीकेशन आती है तो हम उसमें ये नहीं देखते की ओबीसी है तो नहीं देना है एससी है तो नहीं देना है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नही विद प्लानिंग नहीं दिया जा रहा है ऐप्लीकेशन तो आते ही होंगे, लेकिन जो नीचे बैठे है वो इंटरटेन नहीं करते है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- साहब मैं तफ्तीश करवा लूंगा, कोशिश करूंगा कि ऐसा इंप्रेशन ना आये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 27% नहीं होता लेकिन 15-20% तो होता कम से कम, ये 4%, 5% ये किस बात का इंडीकेटर है, जो देश की 54% आबादी है इसका मतलब है कि वो आपके बैंक में नहीं जा रही है।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि डाटा हम लोगों ने जो दिया है इसमें भी इनएक्यूरेसी हो। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ और इसको कोशिश करेंगे साहब 15-20% तक इस साल में इंप्रूव करें।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एक तो आप हमको रोस्टर भिजवा दीजिये 08.09.1993 का कट-ऑफ डेट तक का रोस्टर रजिस्टर और दूसरा

02.07.1997 का कट-ऑफ डेट तक का रोस्टर रजिस्टर, 31.12.1997 का कट ऑफ डेट तक का रोस्टर रजिस्टर और 2019-20 का रोस्टर रजिस्टर।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपके यहां बैंक की कुल कितनी सब्सिडियरी कंपनियां है?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- हमारे बैंक की सब्सिडियरी, एक तो यूनिवरसल सोम्पो करके है उसमें हमारा इंवेसटमेंट है और एक हमारा आरआरबी है उसको सब्सिडियरी नही कह सकते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- क्या है वो?

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- ग्रामीण बैंक है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक भुवनेश्वर में है वो सब्सिडियरी नही है और यूनिवरसल सोम्पो में 5 बैंकों ने मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई हुई है जाइंट वेंचर है वो उसको सब्सिडियरी नही कह सकते।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ठीक है ये रोस्टर भिजवाइये और जो बाकी जानकारी मांगी गई है वो उपलब्ध कराईये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी साहब और अपके जो ओबजर्वेसन है हम लोगों ने बहुत सीरयसली उसको नोट किया है और मैं आईओबी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपके ओबजर्वेशन हैं उनको पूरा एड्रेस करेंगे और जितनी डीओपीटी की की गाइडलाइंस है उनका कहीं से भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जो हम लोगों ने कमिट किया है रीजनल ऑफिस में ओबीसी सेल क्रिऐट करने के लिये वो हम लोग अगले 15 दिन में क्रिऐट कर देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी एसोसिएशन के लोगों को स्पेस दे दीजिए और रोस्टर भिजवाइये।

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंकः- जी सर।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री अजय कुमार श्रीवास्तव)
ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

आइ.ओ.बी. / I.O.B.
HRMD
SC/ST/OBC Cell
C.O. Chennai
कें.का. चेन्नै
एससी / एसटी / ओबीसी सेल

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/220/2020-KSP

इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ दिनांक 26.03.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध-निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक
3. श्री रविन्द्र कुमार प्रधान, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज बैंक
4. श्री संजय कुमार, उप सचिव एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री गुरदीप सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- कार्यवाही शुरु की जाये।

प्रबंध-निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आयोग को वर्ष 1993 और 1997 के रोस्टर दिखायें जाये।

(रोस्टर दिखाया गया।)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपने प्रश्न सं. 5 के रिप्लाई में लिखकर दिया है चूंकि डीएफएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के पदोन्नति के लिये चयन समिति में 1 ओबीसी सदस्य होना निर्दिष्ट नहीं है इसलिये हमने डीपीसी में अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि, जहां भी संभव होता है, हम चयन समिति में ओबीसी सदस्य को शामिल करते है। तो आयोग को बताया जाये कि यह कहां-कहां संभव होता है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज बैंक:- सर, जब डीपीसी में सिलेक्शन करते हैं तब इंटरव्यू करते हैं तब हम ओबीसी सदस्य को शामिल करने की कोशिश करते है।

आर.के. प्रधान   पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

गुरदीप

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इंडियन ओवरसीज बैंक में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे कौन सा पद आता है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- सर, जीएम का पद होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इंडियन ओवरसीज बैंक में कुल कितने जीएम है और उनमें ओबीसी कितने है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- कुल 15 जीएम हैं और उनमें 1 ओबीसी कैटेगरी के है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- कुल डीजीएम कितने है और उनमें ओबीसी कैटेगरी के कितने डीजीएम है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- कुल 59 डीजीएम में 3 ओबीसी कैटेगरी के हैं और एजीएम 180 के करीब है उसमें 10% ओबीसी हैं। बाकी चीफ मैनेजर में करीब 21.19% और सीनियर मैनेजर में 24% ओबीसी हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- क्या यह रोस्टर डीएफएस द्वारा वेरिफाई है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- सर, वर्ष 2018 तक का रोस्टर डीएफएस द्वारा वेरिफाई हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- अंतिम बार डीएफएस द्वारा वेरिफाई रोस्टर आयोग को दिखाया जाये।

(रोस्टर दिखाया गया।)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- क्या इंडियन ओवरसीज बैंक में वर्ष 2014 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नही हुआ था?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- नहीं सर, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक वर्ष 2015 से पीसीए में है।

अरु.कै. प्रधान   पार्थप्रतिम सेनगुप्ता

गुरदीप

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप ओरिजनल रोस्टर किस वर्ष का लेकर आयें हैं?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- सर, वर्ष 2019-20 का ओरिजनल रोस्टर लाये हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आयोग को रोस्टर दिखाया जाये और डीएफएस के लाईसन ऑफिसर बताये कि यह रोस्टर डीएफएस द्वारा वेरिफाई है या नही?

उप सचिव एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय:- सर, यह वर्ड फाईल बनाई थी, उसी की पीडीएफ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- क्या यह वेरिफाई है?

उप सचिव एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय:- सर, वेरिफाई रिकार्ड में रखे होंगे लेकिन इस पर किसी का साइन नहीं है, यह वेरिफाई नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- 08.09.1993, 02.07.1997 व 31.12.1997 के कट ऑफ डेट के रोस्टर आयोग को दिखाये जाये।

(रोस्टर दिखाये गये।)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- क्या इंडियन ओवरसीज बैंक के पुराने रोस्टर डीएफएस ने वेरिफाई नहीं किया है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- सर, यह वेरिफाई नहीं है, यह रोस्टर हमने रिकंस्ट्रक्ट किये थे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- तो रोस्टर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिये डाटा कहां से लिया गया है?

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:- यह डाटा सिस्टम से लिया है।

पार्थप्रतिम सेनगुप्ता

आर. के. प्रधान

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> ग्रुप 'ए' का वर्ष 08.09.1993 का रोस्टर आयोग को दिखाया जाये।

(रोस्टर दिखाया गया।)

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> इंडियन ओवरसीज बैंक के रोस्टर की कब और कितनी बार रिकास्टिंग की गयी है?

<u>महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), इंडियन ओवरसीज़ बैंक:-</u> रिजर्वेशन रोस्टर की रिकास्टिंग दिनांक 21.03.2021 को की गई है। हमारी डीएफएस के साथ मीटिंग हुई थी तब यह डाटा मांगा गया था।

सुनवाई सम्पन्न।

आर. के. प्रधान

(श्री रविन्द्र कुमार प्रधान)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
इंडियन ओवरसीज बैंक

गुरदीप सिंह

(श्री गुरदीप सिंह)
उप सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

संजय कुमार

(श्री संजय कुमार)
उप सचिव एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी),
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

(श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध-निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडियन ओवरसीज बैंक

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग